न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/213 **दायरा दिनांक : 10.12.2024**

उनवान

चन्द्र प्रकाश आयु 52 वर्ष पुत्र श्री काशीलाल, जाति जाट, निवासी बारां, जिला बारां राजस्थान .... अपीलांट

बनाम

1. लटूर लाल आयु 67 वर्ष पुत्र श्री बिशना, जाति माली, निवासी मालियों के मन्दिर के पास सीसवालीं, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
2. गिर्राज आयु 41 वर्ष पुत्र श्री लटूरलाल, जाति माली, निवासी सीसवालीं, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
3. कलावती पुत्री राधाकिशन, जाति माली, निवासी सीसवाली
4. जगदीश पुत्र राधाकिशन, जाति माली, निवासी सीसवाली
5. पप्पूलाल पुत्र राधाकिशन, जाति माली, निवासी सीसवाली
6. फूला बाई पुत्री राधाकिशन, जाति माली, निवासी सीसवाली
7. मुकेश कुमार पुत्र राधाकिशन, जाति माली, निवासी सीसवाली
8. बंसती बेवा राधाकिशन, जाति माली, निवासी सीसवाली
   अकवाम तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
9. पार्वती बाई पुत्री बिशना, जाति माली, निवासी मालियों के मन्दिर के पास सीसवालीं, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
10. छोटी बाई पुत्री बिशना, जाति माली, निवासी मालियों के मन्दिर के पास सीसवालीं, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 09.01.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 4/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी राधाकिशन ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम सीसवालीं में आराजी खसरा नं. 3087 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नं. 3088 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नं. 3089 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नं. 3229 रकबा 0.46 हेक्टर, खसरा नं. 3230 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

नं. 3235 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 3240 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 3241 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नं. 3242 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नं. 3243 रकबा 0.22 हेक्टर, खसरा नं. 3285 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा नं. 3286 रकबा 0.22 हेक्टर तथा खसरा नं. 5034 रकबा 1.13 हेक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 3.03 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2018 से वाद वादी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि रेस्पोडेंट क्रम 3 ता 8 के पिता व पति ने उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट क्रम 2 एवं अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत कर वाद प्रार्थनानुसार अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना की। निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, विधि एवं प्रकिया के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की समुचित तामील करवाने की प्रकिया का ही पालन नहीं किया है एवं दिनांक 28.07.2014 को लटूरलाल रेस्पोडेंट क्रम 1, पार्वती रेस्पोडेंट क्रम 9 व छोटीबाई रेस्पोडेंट क्रम 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर बिना जवाबदावा व बिना कोई साक्ष्य लिए वाद डिक्री कर त्रुटि की है। गिर्राज अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 4 था, उसके अधिवक्ता ने नोट प्रेस किया जिसकी कोई पूर्व सूचना वकील प्रतिवादी अथवा न्यायालय द्वारा प्रकियानुसार नहीं दी गई। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बिना पूर्व सूचना दिये अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में "पैरवी की हिदायत नहीं" दर्ज करा देने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना नहीं देकर त्रुटि की है। जिससे अपीलांट अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने से वंचित रहा है। मनमानी एवं विधि विपरीत प्रक्रिया अपना कर निर्णय व डिक्री प्रदान कर त्रुटि की है। मूल खातेदार बिशना, लक्ष्मण व पृथ्वीलाल 1/3, 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार कृषक मुताबिक दावा थे। लक्ष्मण की पत्नी देवबाई द्वारा रेस्पोडेंट क्रम 2 गिर्राज का दिनांक 30.05.1983 को रजिस्टर्ड वसीयत की हुई है जिसके आधार पर गिर्राज का नाम खातेदारी में दर्ज हुआ जिसने खातेदार कृषक होने से आराजी का बाजार मूल्य प्राप्त कर आराजी में अपना हक हिस्सा अपीलांट को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2012 से बेचान किया है उसे निरस्त कराये बिना वाद पोषणीय ही नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात के अभाव में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के कथनों के आधार पर निर्णय पारित कर त्रुटि की है। निर्णय के पठन से ही स्पष्ट है कि किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत एवं आवश्यक का कोई अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है। अपीलार्थी के हक अधिकारों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 09.08.2018 अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.09.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अपील मेमो ही हमारी बहस है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी राधाकिशन द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम सीसवालीी में कुल किता 13 रकबा 3.03 हैक्टर आराजी के पूर्व खातेदार लक्ष्मण, पृथ्वीलाल व बिशनलाल रहे है। लक्ष्मण व उसकी पत्नी देवबाई लाओलाद फौत हुए है, पृथ्वीलाल का वारिस वादी है एवं खाते मे दर्ज पुष्पाबाई बेवा पृथ्वीलाल का देहांत हो चुका है। बिशनलाल के वारिस प्रतिवादी 1 ता 3 है। इस प्रकार उक्त आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी कम 1 ता 3 का हिस्सा 1/2 है। प्रतिवादी कम 6 के प्रतिनिधियों ने बिना किसी कानूनी अधिकार के खाता राजस्व रिकार्ड में गिर्राज पुत्र लटूरलाल का नाम दर्ज कर दिया है जबकि गिर्राज लटूरलाल का पुत्र है और उसका हक लटूरलाल की आराजी मे ही है। गिर्राज पुत्र लटूरलाल ने नाम गलत दर्ज कर दिये जाने से उक्त आराजियात में दर्ज हिस्सा 1/3 होने से बिना किसी बंटवारे के व बिना अपना हिस्सा न्यायालय से तय कराये वादी को नुकसान पंहुचाने की दृष्टि से छलपूर्वक 1/3 हिस्से का बेनामी विक्रय प्रतिवादी कम 5 चन्द्रप्रकाश को कर दिया है। जब आराजियात में गिर्राज का कोई हक या अधिकार ही नही है तब उसके द्वारा किये गये विक्रय/बेचान का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। अतः पुष्पाबाई का नाम उसकी मृत्यु हो जाने से निरस्त किया जावे तथा आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा स्व. बिशना के वारिसान लटूर, पार्वती, छोटीबाई (प्रतिवादी कम 1 ता 3) का 1/2 हिस्सा माना जाकर आराजियात का बंटवारा किया जावे। गिर्राज द्वारा बिना किसी अधिकार के जो विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2012 को तहरीर व पंजीकृत कराया है उसे शून्य घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी कम 5 चन्द्रप्रकाश का नाम दर्ज नहीं किया जावे। वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध आदेशात्मक एवं निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादी को आराजी का 1/2 हिस्सा काश्त एवं उपयोग करने में कोई बाधा न स्वयं डाले न डलावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2018 से वादी का वाद स्वीकार करते हुए ग्राम सीसवाली की आराजी कुल किता 13 रकबा 3.03 हेक्टर की राजस्व जमाबंदी में दर्ज प्रतिवादी क्रम 4 गिर्राज पुत्र लटूरलाल व पुष्पाबाई बेवा पृथ्वीलाल का नाम हजफ किया जाकर वादी राधाकिशन पुत्र पृथ्वीलाल का हिस्सा 1/2 तथा लटूरलाल पुत्र, पार्वती पुत्री, छोटीबाई पुत्री बिशना को सामुहिक रूप से हिस्से 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी क्रम 5 चन्द्रप्रकाश द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय मे वादी राधाकिशन पुत्र पृथ्वीलाल ने वादपत्र की मद नं. 1 में वर्णित विवादित आराजी कुल किता 13 कुल रकबा 3.03 हेक्टर वाके ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल के सन्दर्भ में अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत जो दावा प्रस्तुत किया गया उसमें विवादित आराजी के सन्दर्भ में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि उक्त आराजियात पैतृक है जिसके पूर्व खातेदार लक्ष्मण, पृथ्वीलाल व बिशनलाल रहे हैं परन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया है, जिससे विवादित आराजी पैतृक साबित हो सके, ना ही पूर्व खातेदार लक्ष्मण, पृथ्वीलाल व बिशनलाल के नाम की कोई जमाबंदी पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न एक मात्र नकल जमाबदी संवत 2061 से 2064 ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां की खाता संख्या नयी 754 पुरानी 712 के अनुसार विवादित आराजी कुल किता 13 कुल रकबा 3.03 हेक्टर में गिर्राज प्रतिवादी क्रम 4 का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक वाद पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2012 की फोटोकापी के अनुसार गिर्राज प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा अपना 1/3 हिस्सा चन्द्र प्रकाश अपीलांट प्रतिवादी क्रम 5 को बेचान किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के विरूद्ध दिनांक 28.07.2014 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी क्रम 4 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.08.2018 को नोट प्रेस किया गया एवं दिनांक 03.02.2016 की आदेशिका पर अपीलांट प्रतिवादी क्रम 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी क्रम 5 की ओर से पैरवी हेतु हिदायत नहीं यह नोट अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर किये हैं, इस पर अपीलांट प्रतिवादी क्रम 5 का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की सुनवायी करते हुए एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अधूरा है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सन्दर्भ में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से यह साबित नहीं होता कि विवादित आराजी पैतृक है, तथा इसके पूर्व खातेदार लक्ष्मण, पृथ्वीलाल व बिशनलाल थे। इसी प्रकार यह भी साबित नहीं होता कि गिर्राज नाबालिक पुत्र लटूरलाल का नाम जमाबंदी में कैसे दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

संवत 2061 से 2064 के अनुसार गिर्राज का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है और उसने अपने 1/3 हिस्से का बेचान मुताबिक वादपत्र अपीलांट चन्द्रप्रकाश को किया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट सदभावी क्रेता होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करना विधि सम्मत और आवश्यक मानते हुए अपीलाधीन एक तरफा निर्णय को अपील के इस स्तर पर खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2018 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में तनकीवार विवेचन के पश्चात पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.03.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/01/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा